

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 31
आर्थिक कार्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | बजट 2007-2008 | | | संशोधित 2007-2008 | | | बजट 2008-2009 | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व पूंजी जोड़ | 724.69 100.00 824.69 | 2036.85 355.20 2392.05 | 2761.54 455.20 3216.74 | 724.69 23.00 747.69 | 2480.38 6067.32 8547.70 | 3205.07 6090.32 9295.39 | 773.90 92.10 866.00 | 2577.04 7.02 2584.06 | 3350.94 99.12 3450.06 | |
| 1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 2052 | ... | 43.82 | 43.82 | ... | 46.26 | 46.26 | ... | 41.15 | 41.15 |
| <i>अन्य राजकोषीय सेवाएं</i> | | | | | | | | | | |
| 2. राष्ट्रीय बचत संस्थान | 2047 | ... | 12.69 | 12.69 | ... | 12.10 | 12.10 | ... | 12.10 | 12.10 |
| 3. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज | 2047 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.20 |
| 4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास के आर्थिक सहायता लेखे में अंशदान | 2047 | ... | 4.55 | 4.55 | ... | 4.05 | 4.05 | ... | 3.93 | 3.93 |
| 5. अन्य व्यय | 2047 | ... | 4.82 | 4.82 | ... | 5.32 | 5.32 | ... | 0.19 | 0.19 |
| <i>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</i> | | | | | | | | | | |
| 6. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण | 2070 | ... | 2.18 | 2.18 | ... | 2.11 | 2.11 | ... | ... | ... |
| 7. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड | 2070 | ... | 7.96 | 7.96 | ... | 7.43 | 7.43 | ... | ... | ... |
| 8. ऋण वसूली न्यायाधिकरण | 2070 | ... | 28.18 | 28.18 | ... | 28.17 | 28.17 | ... | ... | ... |
| 9. तेरहवां वित्त आयोग | 2070 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 6.92 | 6.92 | ... | 11.95 | 11.95 |
| 10. निवेश आयोग | 2070 | ... | 0.94 | 0.94 | ... | 0.76 | 0.76 | ... | 0.94 | 0.94 |
| 11. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण- को सहायता अनुदान | 2070 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान | 2070 | ... | 6.56 | 6.56 | ... | 6.00 | 6.00 | ... | ... | ... |
| 13. अन्य व्यय | 2070 | ... | 2.10 | 2.10 | ... | 2.79 | 2.79 | ... | 2.43 | 2.43 |
| <i>विविध सामान्य सेवाएं</i> | | | | | | | | | | |
| 14. अन्य कार्यक्रम | 2075 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 1.75 | 1.75 | ... | 0.04 | 0.04 |
| <i>सामान्य शिक्षा</i> | | | | | | | | | | |
| 15. मेघावी तथा जरूरतमंद छात्रों के शिक्षा ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता | 2202 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</i> | | | | | | | | | | |
| 16. नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण पर ब्याज राहत | 2235 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | ... | ... |
| 17. अन्य व्यय | 2235 | ... | 0.49 | 0.49 | ... | 0.06 | 0.06 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 18. केंद्रीय सड़क निधि | | | | | | | | | | |
| 18.01 केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण | 3054 | 724.69 | ... | 724.69 | 724.69 | ... | 724.69 | 773.90 | ... | 773.90 |
| 18.02 मोटर स्फिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहण के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान | 3054 | 724.69 | ... | 724.69 | 724.69 | ... | 724.69 | 773.90 | ... | 773.90 |
| 18.03 घटाइए-केंद्रीय सड़क निधि से पूर्ति | 3054 | -724.69 | ... | -724.69 | -724.69 | ... | -724.69 | -773.90 | ... | -773.90 |
| | जोड़ | 724.69 | ... | 724.69 | 724.69 | ... | 724.69 | 773.90 | ... | 773.90 |
| <i>अन्य परिवहन सेवाएं</i> | | | | | | | | | | |
| 19.01 लाभांश राहतों और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता | 3075 | ... | 1276.00 | 1276.00 | ... | 1525.33 | 1525.33 | ... | 1707.69 | 1707.69 |
| 19.02 सामरिक रेल लाइनों का संचालन करने के लिए रेलवे को हानियों की प्रतिपूर्ति | 3075 | ... | 321.00 | 321.00 | ... | 637.00 | 637.00 | ... | 500.00 | 500.00 |
| | जोड़ | ... | 1597.00 | 1597.00 | ... | 2162.33 | 2162.33 | ... | 2207.69 | 2207.69 |
| <i>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</i> | | | | | | | | | | |
| 20. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान | 3475 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 21. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | 3475 | ... | 8.33 | 8.33 | ... | 8.32 | 8.32 | ... | 8.22 | 8.22 |
| 22. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि | 3475 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 |

| मुख्य शीर्ष | बजट 2007-2008 | | | संशोधित 2007-2008 | | | (करोड़ रुपए) बजट 2008-2009 | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | | |
| 23. आधारभूत ढांचा विकास के लिए सहायता | 5475 | 100.00 | ... | 100.00 | 23.00 | ... | 23.00 | 92.10 | ... | 92.10 | |
| 24. सामाजिक एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए पहलों के लिए एकमुश्त प्रावधान | 5475 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | |
| 25. | 5475 | ... | ... | ... | 6000.00 | 6000.00 | ... | ... | ... | ... | |
| 26. अन्य व्यय | | | | | | | | | | | |
| 26.01 एक्विजिशन बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज समीकरण सहायता | 3475 | ... | 228.00 | 228.00 | ... | 135.00 | 135.00 | ... | 232.00 | 232.00 | |
| 26.02 अन्य व्यय | 3475 | ... | 11.49 | 11.49 | ... | 10.27 | 10.27 | ... | 12.61 | 12.61 | |
| | | जोड़ | ... | 239.49 | 239.49 | ... | 145.27 | 145.27 | ... | 244.61 | 244.61 |
| 27. किर्गिस्तान सरकार को दिए गए ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देय राशियों को बट्टे खाते डालना। | 3475 | ... | ... | ... | ... | 3.65 | 3.65 | ... | ... | ... | |
| घटाइए : निवल प्राप्तियां | 1475 | ... | ... | ... | ... | -3.65 | -3.65 | ... | ... | ... | |
| | | निवल | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 28. किर्गिस्तान सरकार को दिए गए ऋण श्रृंखला के बारे में बकाया ऋणों पर ब्याज को बट्टे खाते डालना | 3475 | ... | ... | ... | ... | 1.65 | 1.65 | ... | ... | ... | |
| घटाइए : निवल प्राप्तियां | 0049 | ... | ... | ... | ... | -1.65 | -1.65 | ... | ... | ... | |
| | | निवल | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग | | | | | | | | | | | |
| 29. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान | 3605 | ... | 22.03 | 22.03 | ... | 18.65 | 18.65 | ... | 22.05 | 22.05 | |
| 30. अन्य देशों के साथ सहयोग | 3605 | ... | 16.66 | 16.66 | ... | 16.36 | 16.36 | ... | 16.01 | 16.01 | |
| 31. अन्य व्यय | 3605 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | |
| 32. विकास सहायता भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम | 3605 | ... | 35.50 | 35.50 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | |
| 33. बजट प्रेस के लिए बहुरंगी वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की खरीद | 4075 | ... | 0.31 | 0.31 | ... | 0.49 | 0.49 | ... | 3.00 | 3.00 | |
| 34. सामान्य वित्त एवं व्यापार संस्थाओं के लिए ऋण | 7465 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | |
| 35. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के अवसंरचना विकास के लिए ऋण | 7475 | ... | ... | ... | ... | 15.00 | 15.00 | ... | ... | ... | |
| घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरा किया गया | 7475 | ... | ... | ... | ... | -15.00 | -15.00 | ... | ... | ... | |
| | | निवल | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 36. विदेशी सरकारों को विकास सहायता | | | | | | | | | | | |
| (क) मारीशस | 7605 | ... | 12.00 | 12.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| (ख) म्यांमार | 7605 | ... | ... | ... | ... | 1.32 | 1.32 | ... | ... | ... | |
| (ग) श्रीलंका | 7605 | ... | 77.00 | 77.00 | ... | 60.00 | 60.00 | ... | ... | ... | |
| (घ) कम्बोडिया | 7605 | ... | 11.68 | 11.68 | ... | 4.68 | 4.68 | ... | 4.00 | 4.00 | |
| (ङ) सूरीनाम | 7605 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 0.82 | 0.82 | ... | ... | ... | |
| | | जोड़ | ... | 101.68 | 101.68 | ... | 66.82 | 66.82 | ... | 4.00 | 4.00 |
| करेंसी, सिक्का, निर्माण और टकसाल | | | | | | | | | | | |
| 37. एसपीएमसीएएल से सिक्कों की खरीद | 4046 | ... | 253.20 | 253.20 | ... | 589.58 | 589.58 | ... | 500.00 | 500.00 | |
| घटाइए - वसूलियां | 4046 | ... | ... | ... | ... | -589.58 | -589.58 | ... | -500.00 | -500.00 | |
| | | निवल | ... | 253.20 | 253.20 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| कुल जोड़ | | 824.69 | 2392.05 | 3216.74 | 747.69 | 8547.70 | 9295.39 | 866.00 | 2584.06 | 3450.06 | |
| ग. आयोजना परिव्यय | | | | | | | | | | | |
| | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | |
| 1. सड़कें और पुल | 13054 | 724.69 | ... | 724.69 | 724.69 | ... | 724.69 | 773.90 | ... | 773.90 | |
| 2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 13475 | 100.00 | ... | 100.00 | 23.00 | ... | 23.00 | 92.10 | ... | 92.10 | |
| | | जोड़ | ... | 824.69 | 747.69 | ... | 747.69 | 866.00 | ... | 866.00 | |

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
2. इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संस्थान के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
3. यह प्रावधान अनिवार्य जमा (आयकरदाता) योजना के तहत ब्याज संदाय पर व्यय के लिए है। अनिवार्य जमा (आयकरदाता) अधिनियम, 1974, को 1.4.1996 से निरस्त कर दिया गया है और वापस न ली गई जमाराशियों पर उस तारीख से ब्याज लगना बंद हो जाएगा। यह प्रावधान अनाहरित जमाराशियों पर ब्याज संदाय के लिए है।
4. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास निधि में भारत के अंशदान के लिए किया गया है।
5. इसमें मुख्यतः अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अदायगियों, प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अनियमितताओं की जांच हेतु गठित अभिरक्षक के कार्यालय तथा विशेष न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रेजीडेंट कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किया गया है।
- 6-8. यह प्रावधान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के लिए है।
9. यह प्रावधान 13वें वित्त आयोग के व्यय पूरा करने के लिए किया गया है।
10. यह प्रावधान निवेश आयोग के लिए है।
12. यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए है।
13. यह प्रावधान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में आर.आर.टी. आदि के भुगतान के लिए है।
14. इसमें मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अस्वामिक प्रतिभूतियों, तथा सीएए एंड ए प्रभाग को विश्व बैंक अनुदान देने के संबंध में भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।
16. इसमें नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को अपने सामान्य व्यवसाय में पुनःव्यवस्थित होने तथा अपने घरों की मरम्मत करने आदि में समर्थ बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है।
17. यह प्रावधान बचत योजना और गरीबों के लिए बीमा योजना के लिए है। इसमें भारत में पेंशन प्रणाली के सुधार हेतु संस्थागत क्षमता सृजित करने के लिए आईडीएफ अनुदान भी शामिल है।
18. पेट्रोल तथा डीजल पर लगाया गया उपकर केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे उपरिसेतुओं/रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए आवंटित किया जा रहा है।
19. यह सामान्य राजस्व में से रेलवे को संदेय लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए आर्थिक सहायता का द्योतक है। इसमें रेलवे को महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को चलाने हेतु हानियों की वापसी अदायगी के लिए भी प्रावधान है।
20. यह सांकेतिक प्रावधान आईआईसी के लिए है जिसे परिसमाप्त किया

जा रहा है।

21. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना के लिए और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।

22. यह प्रावधान अनिवासी भारतीय बांड के अंतर्गत मुद्रा हानि के लिए किया गया है।

23. यह आयोजना प्रावधान अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता देते हुए एक नए निधिपोषण तंत्र की व्यवस्था के लिए है। यह अर्थक्षमता अंतर के निधिकरण के प्रावधान के माध्यम से सरकारी निजी भागीदारी को संविधित करता है।

24. इसमें अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नवीन निधिकरण तंत्र को लाने के प्रति अवसंरचना विकास के लिए सहायता हेतु सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

25. इसमें मुख्यतः न्यायालय परिसमापक के कार्यालय भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, वाशिंगटन और टोकियो में भारत के राजदूतावास के आर्थिक स्कंध पर व्यय; विभिन्न आर्थिक अनुसंधानोन्मुखी संस्थाओं/संगठनों को अनुदान, गरीबों के लिए संरक्षित बचत योजना के बीमा संघटक आदि के व्यय के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए आर्थिक सहायता भी शामिल है।

26-27. किर्गिस्तान सरकार को प्रदान किए गए ऋणों की श्रृंखला के प्रति बकाया ऋणों पर बकाया देयताओं और ब्याज को बट्टे खाते डालने का प्रावधान है।

28 और 30. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा, जो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे।

31. इसमें भारत के समग्र, सामान्य और परिकल्पित संवर्धन, इसके व्यापार तथा अन्य देशों के साथ तकनीकी-आर्थिक और बौद्धिक सहयोग हेतु समर्थन देने के लिए प्रावधान है।

32. यह प्रावधान बजट प्रेस के लिए बहुरंगी वेब ऑफ सैट प्रिंटिंग मशीन और एक छोटी बहुरंगी प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए है।

33. यह सांकेतिक प्रावधान भारत सरकार के प्रतिभूति मुद्रणालयों, कागज़ मिलों और भारत सरकार की टकसालों के निगमीकरण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।

34. इसमें राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के अवसंरचना विकास हेतु रियायती ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है।

35. यह प्रावधान मित्र विकासशील देशों को उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए आशयित है।

36. यह प्रावधान सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए किया गया है।